IJARETY

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY (IJARETY)

Volume 12, Issue 1, January - February 2025

Impact Factor: 7.394

www.ijarety.in editor.ijarety@gmail.com

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY(IJARETY)

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Refereed Journal |

|| Volume 12, Issue 1, January-February 2025 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2025.1201039

भारत में सुशासन का स्वरुप: अर्थ, चुनौतियाँ एवं समाधान

Dr. Rajeev Chouhan

Sanvidha Lecturer In Political Science, Govt. PG College Barmer, Rajasthan, India

सारांश (ABSTRACT): भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है, जहाँ विविधता के बीच एकता उसकी सबसे बड़ी पहचान है। इस परिप्रेक्ष्य में "सुशासन" (Good Governance) का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। सुशासन केवल प्रशासन की दक्षता का पर्याय नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के जीवन को गरिमामय बनाने, समान अवसर उपलब्ध कराने और न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों को साकार करने की प्रक्रिया है। सुशासन की अवधारणा में पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक सहभागिता, विधि का शासन, भ्रष्टाचार-निरोध और समावेशी विकास जैसे अनेक आयाम शामिल हैं।

स्वतंत्रता के बाद भारत ने सुशासन को सशक्त बनाने के लिए अनेक कदम उठाए, जिनमें पंचायती राज प्रणाली का संवैधानिक दर्जा, सूचना का अधिकार अधिनियम, ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना जैसे प्रयास उल्लेखनीय हैं। इनसे शासन को अधिक उत्तरदायी और जनता के निकट लाने में मदद मिली है। इसके बावजूद कई चुनौतियाँ आज भी बनी हुई हैं। भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप से लेकर नौकरशाही की जटिलता, नीति-क्रियान्वयन में अंतर, क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताएँ, शिक्षा एवं तकनीकी साक्षरता की कमी और ग्रामीण-शहरी अंतराल—ये सभी बाधाएँ सुशासन की गति को प्रभावित करती हैं।

इस शोध का उद्देश्य भारत में सुशासन की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना और यह समझना है कि इन चुनौतियों के बीच सुशासन को कैसे अधिक प्रभावी और स्थायी रूप से लागू किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि सुशासन केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नागरिकों, संस्थाओं और समाज सभी की साझा जिम्मेदारी है। यदि सभी पक्ष एक समन्वित दृष्टिकोण से कार्य करें, तो भारत न केवल आर्थिक प्रगति कर सकता है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक सुदृढ़ कर सकता है।

प्रमुख शब्द : सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक सहभागिता, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र, प्रशासनिक दक्षता, समावेशी विकास।

I. प्रस्तावना

बीते कुछ वर्षों में भारतीय शासन व्यवस्था में अनेक परिवर्तन देखने को मिले है। यह परिवर्तन पूरे विश्व में हुए जिसका असर भारत पर भी पड़ा। विशेषकर 1991 के बाद जब हमने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया और हम अपने देश की सीमाओं (बाजारों) को पूरे विश्व के लिए खोल दिये। यही से भारत में वैश्वीकरण की शुरूआत मानी जाती है। वैश्वीकरण ने दुनिया के हर देश को प्रभावित किया। इसने संचार क्रान्ति, औद्योगिक विकास एवं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के बल पर मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में बड़े गहराई के साथ जुड़ा और प्रभावित किया। इसने वर्षों से विकसित अनेक सामाजिक परम्परा, विश्वास, रूढ़िवादिता, आर्थिक पिछड़ापन आदि को तोड़ा और आधुनिक विश्व को नई ऊँचाई पर ले गया, जहाँ आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग और आर्थिक युग कहा जाता है।

इन तमाम परिवर्तन के दौर में वैश्वीकरण ने हमें राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से भी प्रभावित किया। इसने आधुनिक राष्ट्र राज्य की परिकल्पना को बदल दिया, जिससे वर्तमान समय में राज्य की प्रकृति ही बदल गयी, जिस राष्ट्र राज्य की कल्पना लोकहित के लिये की गयी थी, वही राज्य अब कुछ खास वर्ग के लोगों के हितों का साधन बन गया है। देश का संचालन कुछ खास लोगों की मुट्ठी में सिमट कर रह गया है, जो सिर्फ अपने राजनीतिक एवं आर्थिक हितों को ध्यान में रख कर कार्य करते है। किसी भी तरीके का नियम-कानून ये सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाते है, जो जनकल्याण की भावना से कोसों दूर होती चली जा रही है। आधुनिक समय में राज्य का कार्य क्षेत्र दिनों दिन सिमटता जा रहा है, जो वैश्वीकरण का सबसे बड़ा दोष है। अब सवाल यह उठता है कि इन दोषों को कैसे दूर किया जाए और राज्य की प्रकृति कैसे बदली जाये जिससे अधिक से अधिक लोगों को सहभागी बनाया जाये। हमारा शासन, तन्त्र जनकल्याण की भावना से केन्द्रित हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। जो भी समाज के हाशिये के लोग है, उन्हें कैसे समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाएं, जिससे ये भी अपना विकास कर सके। इन सभी समस्याओं को अगर दूर करना है तो हमें सुशासन को अपनाना होगा। हमें अपने शासन-तन्त्र को ऐसे क्षमता सम्पन्न बनाना होगा जो सुशासन की

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Refereed Journal |

|| Volume 12, Issue 1, January-February 2025 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2025.1201039

बात करे और सुशासन के विचारों से प्रभावित हो। हमें भारत में सुशासन की स्थापना करना होगा तभी सच्चे अर्थों में लोकतन्त्र की स्थापना कर पायेंगें और गण को तन्त्र से जोड़ पायेंगें।

II. सुशासन

अर्थ एवं उपदेयता - अगर हम सुशासन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है या फिर सुशासन क्या होता है हमे मालूम नहीं है। सुशासन की बात तो हमारे वेदों एवं पुराणों में कहीं गयी है। प्राचीन समय से ही हमारे समाज में सुशासन की संकल्पना मौजूद थी और हमारे ऋषि, महात्मा एवं महापुरुष समय-समय पर इसको मजबूती प्रदान किये और इन विचारों को दृढ़ता प्रदान किये कि सुशासन से अच्छा और कोई धर्म नहीं इससे अच्छा और कोई कर्म नहीं। यहीं हमारा आदि और अन्त है। मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य सामाजिक सेवा होना चाहिए। मनुष्य को ऐसे काम करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। मनुस्मृति में भी राजा धर्म से बंधा है। राजा धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता है, धर्म का तात्पर्य यह है कि राजा को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिससे उसके राज्य में निवास करने वाले सभी प्राणी-जीव सुखमय जीवन व्यतीत कर सके।

कौटिल्य अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में राजा को एक तपस्वी की भांति बताया है, और कहता है कि राजा के जीवन का एक-एक क्षण जन कार्य में लगा होना चाहिए। कौटिल्य उत्तम शासन व्यवस्था की ओर संकेत करते हुए कहते है कि "प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है।" वे कहते हैं, "राजा का दिल ही प्रजा का शील है। राजा या राज्य के अधिकारी जैसे होंगे प्रजा भी वैसी ही होगी।" इसलिए वे राजा की योग्यता से लेकर अधिकारियों की नियुक्ति तक का विस्तृत मापदण्ड पेश करते हैं। इन सबका उद्देश्य राज्य को न्यायपालक एवं सर्वकल्याणकारी बनाना है। सुशासन का जितना गहरा और विशद विचार भारतीय मनीषियों ने किया उतना दुनिया में कहीं नहीं हुआ। वाल्मीकि रामायण में-चौदह वर्ष वनवास न जाने की सलाह पर श्रीराम कहते हैं, सत्यमेवानृभांसं च रासवृत्तं सनातनम्। तस्मात् सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः।। अर्थात हिंसारहित सत्य ही राजा का सनातन धर्म है। राज्य सत्यात्मक है, सत्य में ही जगत प्रतिष्ठित है। यानी राज्य सत्य के साथ कभी समझौता न करे और सत्य के प्रतिपालन में हिंसा भी न हो। राज्य का अगर सत्य के साथ आत्मीयता नहीं है और वह हिंसक है तो फिर वह सुशासन नहीं हो सकता। सुशासन की इससे श्रेष्ठ अवधारणा क्या हो सकती है।

महाभारत के शान्तिपर्व में भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि 'धर्मानुवर्ती राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपना प्रिय परित्याग कर वहीं करे जिससे लोकहित हो।' अर्थात जिनके जिम्मे शासन की, जनता के लिए निर्णय करने की जिम्मेदारी है उनके एक-एक कदम, एक-एक निर्णय का लक्ष्य केवल लोकहित ही होना चाहिए। वेदों में कई प्रकार की राज व्यवस्था का वर्णन है अर्थवेद में कहा गया है-विराड वा इदमग्र आसीत। यानी ऐसा राज जहां राजा या कोई शासक नहीं हो। सारी जनता स्वयं अपना प्रबन्धन करती हो उसे वैराज्य कहते थे। जरा सोचिए, क्या हम आज ऐसे सुशासन की कल्पना कर सकते हैं जहां शासक नहीं बल्कि स्वयं जनता समस्त प्रबन्धन करती हो।

गांधीजी ने स्वराज को वैदिक शब्द और अवधारणा यूं ही नहीं कहा। स्वराज्य शासन का सविस्तार वर्णन ऋग्वेद में लिखा है, व्यचिश्टे बहुपाच्ये स्वराज्ये आ यतेमहि। यानी बहुतों द्वारा जिसका पालन होता है, ऐसे स्वराज्य शासन में हम जनता की भलाई के लिए यत्न करते रहेगें। इसका अर्थ बड़ा व्यापक है। ऐसा शासन जो विस्तृत, व्यापक हो और जिसमें संकुचित भाव नहीं हो। दूसरे शब्दों में जो शासन प्रत्येक मनुष्य को सुख देने का प्रयत्न करता है, जो संकुचित नहीं है यानी अपना, अपने परिवार, रिश्तेदार, जाति, समर्थक और यहां तक कि अपने समान विचार वाले के लिए भी पक्षपात नहीं करता है, सभी मनुष्य में एक ही तत्व की भावना से जो व्यवहार करता है वहीं असंकुचित, व्यापक भाव है। तो वैदिक स्वराज्य में सुशासन का अर्थ संकुचित भाव से रहित एवं बहुसम्मत से राज्य व्यवस्था संचालित करने वाला शासन है।

वास्तव में भारतीय परम्परा में सुशासन की अवधारणा की प्रमुख विशेषता यही रही है कि यहां जिनके हाथों में शासन संचालन की जिम्मेदारी है उनकी पात्रता पर सर्वाधिक विचार किया जाता है। शासन संचालन करने की पात्रता के साथ ही सुशासन का उल्लेख भी होता है। वास्तव में सुशासन का सिद्धान्त कितना भी विस्तृत हो उसे साकार तो उन्हें ही करना है जिनके हाथों में यह दायित्व है। इसलिए उनका सुपात्र होना अनिवार्य है। ऐसे सुपात्र व्यक्तियों का समूह ही सुशासन की कल्पना कर सकता है और उसे साकार करने का निष्ठापूर्वक प्रयत्न कर सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि शासन की अवधारणा चाहे जितनी अच्छी हो, अगर शासन संचालन सक्षम व्यक्तियों के हाथों में नहीं है तो वहां सुशासन कभी साकार हो ही नहीं सकता।

अब हम आधुनिक युग में सुशासन की बात करे तो, इसका सीधा मतलब शासन के उस स्वरूप से है, जो अपने सम्प्रभुता की रक्षा करे, व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करे, कानून का शासन हो, सरकारी योजनाओं एवं नौकरियों में पारदर्शिता हो और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, जीवनचर्या और खाद्य सुरक्षा तक की सेवाएं प्रदान करता हो तथा देश के विकास में अधिक से अधिक लोगों को सहभागी

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Refereed Journal |

|| Volume 12, Issue 1, January-February 2025 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2025.1201039

बनाएं एवं शान्ति-व्यवस्था की स्थापना करें। विश्व के सभी नागरिक अपने राष्ट्र. से उच्च गुणवत्ता के प्रदर्शन की आशा रखते हैं। इसके लिए जरूरी है कि नागरिकों को भी खुले रूप से और पूर्ण रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता का अवसर मिले। सुशासन का सम्बन्ध जवाबदेह राजनीतिक नेतृत्व, प्रखर नीति-निर्माताओं और कार्यकुशल लोक सेवकों से है। सशक्त नागरिक समाज के साथ-साथ स्वतन्त्र प्रेस और स्वतन्त्र न्यायपालिका सुशासन की पूर्व शर्त हैं। भारतीय सन्दर्भ में सुशासन का लक्ष्य सामाजिक विकास होना चाहिए। पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, 'भारत में लोकतन्त्र का उद्देश्य "गरीबी, अज्ञानता, रोग और अवसर की असमानता का खात्मा।" सुशासन का उद्देश्य भी सामाजिक अवसरों का विस्तार और गरीबी उन्मूलन होना चाहिए। जहां तक मेरी समझ है सुशासन का अर्थ न्याय की रक्षा एवं न्याय तक पहुँच, कानून का शासन, समाज के वंचित लोगों का प्रभावशाली तरीके से सशक्तीकरण, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना, जिससे युवाओं को लाभ हो. सेवाओं का विस्तार जैसे मीडिया और नागरिक समाज दोनों का समाज में अधिक-अधिक उत्तरदायित्व हो, प्रशासनिक जटिलताओं को सरल रूप प्रदान करना, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे एवं स्वस्थ नेतृत्व क्षमता हो।

III. सुशासन के क्रियान्वयन में उपस्थित चुनौतियां

अफसोस इस बात का है कि चाहे हम सुशासन की जितनी भी बात करे या उसके आदर्शों को अपनाने पर जोर दें, या हर स्तर पर सुधार करने की बात करे, हम सभी स्तर पर विफल हो गये है और सुशासन की संकल्पना को व्यवहार में अभी तक नहीं ला पाये हैं। हमारे देश में सुशासन की इतनी समृद्ध परम्परा रही है, इसको बचाने में हम असफल हो गये है। हम इतने स्वार्थी हो गये है कि हमें अपने हित के अलावा दूसरे का हित दिखाई नहीं देता। राजनीति में ऐसे लोगों का जमावड़ा होता जा रहा है जो सामाजिक सरोकार के कार्यों से कोसों दूर हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में कई खामिया देखने को मिली है। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग शासन-तन्त्र से असन्तुष्ट है। समाज में इतनी असमानताएँ विघमान है, जिससे आम नागरिक परेशान है। देश में गरीबी, अशिक्षा, बढ़ती बेरोजगारी, समाज में बढ़ती असमानताएं, भ्रष्टाचार, काला-धन, महिलाओं पर बढ़ता अत्याचार, रोजगार के अवसरों में कमी, पारदर्शिता का अभाव, सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का जवाबदेही न होना, धार्मिक रूढ़िवादिता, जातिवाद, क्षेत्रीय असमानताएं, नक्सलवाद, आतंकवाद इत्यादि ऐसे सामाजिक मुद्दे है जो भारत में सुशासन के लिए चुनौती पेश कर रहे है और सुशासन के राह में सबसे बड़े अवरोधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो आजादी के 77 वर्ष बाद भी हमारे लिए चिन्ता का विषय बने हुये है। वर्ष 1991 से लेकर अब तक हम लगातार धीरे-धीरे पूंजीवाद की राह पर आगे बढ़ते रहे हैं। लोकतन्त्र भारत में शासन का हृदय स्वरूप है। बावजूद इसके क्रियात्मक स्वरूपों में प्रजातन्त्र की कई कमियां भी उजागर हुई है। लोक सेवा से लेकर विधायिका और राजनीतिक प्राधिकरणों तक जवाबदेही का स्तर कमजोर दिखाई देता है। उच्च स्तर पर प्रशासनिक नियन्त्रण कमजोर है और संसदीय समितियों की कतिपय अनदेखी समस्या के अहम हिस्से हैं। राजनीति का अपराधीकरण और चुनावी राजनीति में जाति और धर्म की बढ़ती दखलअंदाजी चिन्तनीय विषय हैं। सामाजिक समरसता में धर्म और संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। धर्म की शान्त और सहनशील प्रवृत्ति और बहुलवादी सांस्कृतिक मूल्य सुशासन के मूलभूत आधार हैं। बावजूद इसके धर्म और लोकतन्त्र में कोई विभिन्न सम्बन्ध नहीं है।

लोकतन्त्र किसी धर्म का नहीं होता। भारतीय लोकतन्त्र स्वाधीनता आन्दोलन की देन है, जो बहुलवादी मूल्यों और विभिन्न विश्वास और जातीय पृष्ठभूमि के लोगों के साथ समान व्यवहार को प्राथमिकता देता है, और साथ ही साथ इसकी गारण्टी संविधान देता है, न्यायपालिका इसे संरक्षित रखती है और इसी मूल्य प्रणाली में नेतृत्व का विश्वास भी है। लेकिन दुःख की बात यह है कि इतने वर्षों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों एवं सरकारों ने सबसे अधिक धर्म को हथियार बनाकर अपना राजनीतिक हित साधतें रहे है। इससे कहीं न कहीं सामाजिक समरसता का हमारा लक्ष्य प्रभावित हो रहा है।

महिलाएं सुशासन की कुंजी है। लोकतान्त्रिक संस्थाओं में उनके बढ़ते प्रतिनिधित्व से भारतीय राजनीति को स्थायित्व मिला है। महिलाएं मेज पर रचनात्मक, क्रियात्मक और संपोषित समाधान प्रस्तुत कर सकती हैं। जरूरत बस इस बात की है कि महिलाओं के लिए हमें अनुकूल माहौल बनाना होगा और हमें रूढ़िवादी मानसिकता को छोड़कर उन्हें समाज के मुख्यधारा में लाना होगा। आर्थिक कार्यक्रमों में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं में हमें परिणाम देने वाले, शिक्षाप्रद और सम्भालने योग्य नेतृत्व मिल सकते हैं। हमारा संविधान दो मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित है, जिससे समानता का निर्णायक भाव परिलक्षित होता है। पहला, सभी के लिए अवसरों की समानता और दूसरा, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन दूर करने का सिद्धान्त। सवाल यह नहीं है कि किस तरह सरकारी नौकरियों में आरक्षण से चीजें बेहतर हो सकती हैं, बल्कि वास्तव में किस तरह सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग लाभान्वित हो सकते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम शासन-तन्त्र को सुशासन की राह पर लाये और देश के विकास में अधिक से अधिक लोगों को सहभागी बनाये एवं सामाजिक समरसता की स्थापना करें। व्यवस्थाओं को उद्देश्यपूर्ण बनाये, जिसमें अधिकतम लोगों का हित समाहित हो। हमें देश में ऐसा माहौल बनाना होगा कि सरकार, प्रशासन और नौकरशाही के तौर तरीकों में सुधार के सतत प्रयास करे। जिन सुख-सुविधाओं का उपभोग वे लोग कर रहे है, वही सुख सुविधाएं आम लोगों को भी मिलना चाहिए। संविधान के अनुसार सरकारी तन्त्र का पुनर्गठन

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Refereed Journal |

|| Volume 12, Issue 1, January-February 2025 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2025.1201039

किया जाए और इस प्रकार परिवर्तन किया जाय जो अनेक लोगों द्वारा पसन्द किया जाए। तभी हम सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

IV. निष्कर्ष

भारत में सुशासन की यात्रा सरल नहीं है, बल्कि यह निरंतर संघर्ष और सुधार की प्रक्रिया है। लोकतंत्र में सुशासन तभी संभव है जब शासन पारदर्शी हो, नीतियाँ समावेशी हों और जनता उनमें विश्वास कर सके। वर्तमान समय में भारत ने ई-गवर्नेंस, डिजिटलाइजेशन, भ्रष्टाचार-निरोधी तंत्र और नागरिक सहभागिता जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। भ्रष्टाचार, शक्ति-केन्द्रित राजनीति, प्रशासनिक देरी और जटिल प्रक्रियाएँ नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को बाधित करती हैं।

निष्कर्षतः, भारत में सुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। सबसे पहले, प्रशासनिक सुधारों के साथ राजनीतिक इच्छाशक्ति को मजबूत करना होगा। भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण, नौकरशाही की जवाबदेही सुनिश्चित करना और नीतिगत पारदर्शिता लाना अनिवार्य है। दूसरा, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना होगा ताकि वे केवल लाभार्थी न रहकर नीति-निर्माण की प्रक्रिया का भी हिस्सा बन सकें। तीसरा, तकनीकी नवाचार और डिजिटल साक्षरता का प्रसार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से होना चाहिए, ताकि डिजिटल इंडिया की अवधारणा सभी तक पहुँचे।

साथ ही, शिक्षा और सामाजिक न्याय को शासन का केंद्रबिंदु बनाना होगा। केवल आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं है; जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुशासन के लाभ नहीं पहुँचते, तब तक यह अधूरा रहेगा। यदि शासन व्यवस्था भ्रष्टाचार-मुक्त, नागरिक-केंद्रित और समावेशी बनती है, तो न केवल लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी, बल्कि भारत वैश्विक स्तर पर सुशासन का आदर्श भी स्थापित कर सकेगा। इस प्रकार, सुशासन को व्यवहारिक जीवन में उतारना ही भारत की वास्तविक प्रगति और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की कुंजी है।

सन्दर्भ सूची

1. गुप्ता सुनील, सिंह कमल कुमार, (2021), सुशासन, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया।
2. फड़िया बी.एल. (2013), भारतीय प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
3. सिंह होशियार, सिंह पंकज (2023), भारतीय प्रशासन, डॉर्लिंग किंडस्ले (इण्डिया) प्रा.लि., पियर्सन एजुकेशन, नई दिल्ली।
4. Niraja Gopal Jayal & Pratap Bhanu Mehta (2013), Politics in India, Oxford University Press, New Delhi.
5. नारंग अमरजीत सिंह (2008), भारतीय शासन और राजनीति, गीतांजलि पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
6. भट्टाचार्य मेहित (2008), लोक प्रशासन के नये आयाम, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
7. योजना, जनवरी 2013, सुशासन विशेषांक, योजना भवन, नई दिल्ली।

IJARETY

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor

International Journal of Advanced Research in Education and Technology

ISSN: 2394-2975 Impact Factor: 7.394

www.ijarety.in editor.ijarety@gmail.com